महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता गंगवार सहित अन्य अधि./कर्म.गण मौजूद रहे।

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 13.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में SPEL (स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम) के तहत चयनित छात्र- छात्राओं को आधारशिला वृद्धाश्रम का भ्रमण कराते हुए उनको अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान किया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा “श्री पलाश बंसल” के निर्देशन में आज दिनांक 13.02.2025 को भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के तत्वाधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम **Student Police Experiential Learning (SPEL)** कार्यक्रम के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा एवं महिला थाना में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वीर भूमि डिग्री कालेज, महोबा से चयनित छात्र/छात्राओं को थाना कोतवाली नगर महोबा एवं महिला थाना महोबा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुख्यालय महोबा अवस्थित आधारशिला वृद्धाश्रम का भ्रमण कराया गया। सभी छात्र-छात्राओं को वृद्धजनों के स्वास्थ्य एवं उनको प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर उनको सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हुए अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान किया गया।

इस दौरान कालेज के छात्र/छात्राओं द्वारा वृद्धाश्रम के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गये, जिनके समुचित प्रत्युत्तर सुशील श्रीवास्तव, प्रबन्धक आधार शिला वृद्धाश्रम, देवेन्द्र शुक्ला ने दिए साथ ही सभी को बाल विवाह एवं बाल मजदूरी की रोकथाम की शपथ दिलाई गई।

इस दौरान प्रभारी महिला थाना श्रीमती सुषमा चौधरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए अभिषेक वर्मा मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साइबर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना साइबर क्राइम जनपद महोबा की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से ठगी के 21,400/- नगद रु. सहित घटना में प्रयुक्त एक अदद एण्ड्राइड फोन बरामद-

अनजान लिंक के माध्यम से वादी/पीड़ित के साथ साइबर ठगी होने पर पीडित मैयादीन राजपूत पुत्र रामसहाय राजपूत निवासी ग्राम कुढार थाना खरेला जनपद महोबा द्वारा अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की सूचना दिनांक 21.01.2025 को साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा पर दी गई, जिसके आधार पर मु.अ.सं. 03/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 66(D) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही प्रचलित कर दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त साइबर ठगी की घटना का संज्ञान लिया गया, जिसके क्रम में इस साइबर ठगी से सम्बन्धित धनराशि वापस कराये जाने हेतु व साइबर ठगी करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये के लिए अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम, श्री फहीम अख्तर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए साइबर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम सिकरौंधा खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर उम्र करीब 35 वर्ष को आज दिनांक 13.02.2025 को जनपद के चरखारी रोड सूपा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से ठगी के 21400/- रू0 नगद व एक अदद रियलमी एण्ड्रॉड मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

उल्लेखनीय है कि साइबर थाना पुलिस महोबा द्वारा पूर्व में घटना में ठगी की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पेमेण्ट गेटवे सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर वादी मुकदमा की फ्राड हुयी में से 243000/- रूपये वापस कराये गये हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मो० फहीम अख्तर, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह 3. का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह 4. कां० संदीप यादव।

गिरफ्तार अभियुक्त -

महेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रपाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सिकरौंधा खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से 21400/- रू0 व एक अदद रियलमी एण्ड्रॉड मोबाइल फोन।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक- 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 10 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं की काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुआ है, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 रेखा देवी, म0कां0 विभा सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती अंशु शिवहरे, श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।